

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता
राजस्व वाद संख्या :- 227/2024

1 राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

1 रामेती पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2 सरोज पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3 राहुल माता मंजू पत्नी सुभाष पुत्री सोहनलाल जाति जाट जरिये कुदरती बली नानी रामेती पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4 लोकेश माता मंजू पत्नी सुभाष पुत्री सोहनलाल जाति जाट जरिये कुदरती बली नानी रामेती पत्नी सोहनलाल जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 22.08.2024

वादी की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीया की ओर से अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.08.24 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क) वादी राजेन्द्र कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 152/135 में अंकित सोहनलाल के नाम की 0.051 हैक्टर आराजी तथा नम्बर 9 के.ए.आर. के खाता संख्या 166/151 में सोहनलाल के नाम से 265 हैक्टर आराजी में से 0.936 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को ब0डि0ब0 प्राप्त आराजी - चक्र नम्बर 9 के एच आर के खाता संख्या 106/151 में सोहनलाल के नाम से दर्ज 1.285 हैक्टर आराजी में से 0.329 हैक्टर आराजी के

खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक्र नम्बर 3 सी डी आर के खाता संख्या 152/135 व चक्र नम्बर 9 के एच आर के खाता संख्या 106/151 में से सोहनलाल का नाम कलमजुन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/रेग्मुसकिन्) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 22-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



(स्वाति मुद्रा)
उपखण्ड अधिकारी-सबम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		